बायोगैस यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तपोषण योजना

उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्रों में सैनेटरी शौचालयों के साथ बायो गैस प्लांट का निर्माण
- दोषपूर्ण बायोगैस संयंत्रों की मरम्मत।

पात्रता :

इच्छुक ऋणी के पास प्रस्तावित सयंत्र के आकार के अनुरूप पर्याप्त संख्या में पशु होने चाहिए । इस कार्यकलाप के द्वारा ईंधन की लागत में बचत होने के अलावा कोई प्रत्यक्ष आय नहीं है अत: अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय से चुकौती क्षमता के अनुरूप पात्रता निर्धारित की जाए तथा यह केवीआईसी, राज्य कृषि उद्योग निगम या राज्य के किसी अन्य सम्बद्ध विभाग द्वारा प्रायोजित होना चाहिए ।

ऋण की सीमा : बायोगैस संयंत्र की मॉडल एवं क्षमता के अनुसार आवश्यकता आधारित। हालाँकि, मरम्मत के मामले में अनुमानित व्यय का **50%** तक ही सीमित :

ऋण की चुकौती: बायोगैस संयंत्र की क्षमता के अनुसार इस प्रकार है:

बायोगैस संयंत्र की क्षमता	**चुकौती अवधि**
5 क्यूबिक मीटर तक क्षमता वाले	**7** वर्ष
5 क्यूबिक मीटर से अधिक क्षमता वाले	**5** वर्ष